No. P-13033/261/2022-EXPLOSIVE

भारत सरकार/Government of India

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय/Ministry of Commerce and Industry

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग/Deptt for Promotion of Industry & Internal Trade

विस्फोटक अनुभाग/Explosives Section

Udyog Bhawan, New Delhi-110011

Dated: 15th April, 2024

NOTE FOR PUBLIC & STAKEHOLDER CONSULTATION

Subject: Proposal for Repeal of the Explosives Act, 1884(4 of 1884) and introduction of the Explosives Bill, 2024 for enactment of the Act-reg.

The Explosives Act, 1884 was enacted to regulate the manufacture, possession, use, sale, transport, import and export of explosives for commercial purposes and to prevent accidents (explosion) due to explosives in the territory of India.

2. The subject "explosives" is enumerated in the Union list of the Seventh Schedule to the Constitution and administration of the Explosives Act, 1884 is within the control of Union of India through its various statutory bodies.

3. The Explosives Act, 1884 is a pre-constitutional Act and it was comprehensively modified in the year, 1978. Many large and small companies began to manufacture high explosives after independence. It is observed that the Explosives Act, 1884, which is based on the old British pattern. With a view to removing the shortcomings in the Explosives Act, 1884 and to obviate the difficulties experienced by the industry, the Explosives Act, 1884 was comprehensively amended in the year, 1978 by the Explosives (Amendment) Act, 1978 (32 of 1978).

4. During examining all the pre-constitutional Acts from the purview of their suitability and relevance in the present circumstances and suggested to take remedial actions for their repeal or re-enactment or consolidation of two or more central acts into single enactment regulating identical matters for re-enactment or repeal, as the case may be. It is proposed to repeal the Explosives Act, 1884 and re-enact a new law with necessary modifications including in the penal provisions thereof, to bring it in conformity with the current scenario or circumstances.

5. Salient features of the amendments made in the Explosives Act, 1884 by the Explosives Bill, 2024 are as under:

- Object and purpose of the Act modified
- Section 1 - Short Title and Commencement modified.
- Section 4 – Two Definitions viz. licencing authority and notification added.
- Section 5 shifted to Section 25 and Section 5A (Transitional provisions deleted after comprehensive amendment in 1978.)– Deleted
- Two sub-sections (1) and (3) (which is Section 6 in the existing Act) shifted to Section 3 of the proposed bill and one sub-section (2) is also newly inserted in Section 3 of the proposed Bill.
  Sub-section (2) authority competent to grant, suspend or revoke a licence and to perform certain other functions under this Act and Sub-section (3) The Customs Act, 1962 shall have effect in relation to any explosive with regard to importation.
- Sections 6A to Section 9A of the existing Act are renumbered as Section 4 to Section 13 respectively in the proposed bill.
- Two sub-sections (2) and (3) (which is Section 6B in the existing Act) shifted in Section 5 of the proposed Bill and three sub-section (1), (4) and (5) are newly inserted in Section 5 of the proposed bill.
- Punishment for certain offences under Section 14 are being increased (which is Section 9B in the existing Act) (Only fine increased, NOT imprisonment)
- Section 18 of the existing Act shifted to Section 26 of the proposed bill.
- Sections 27-28 are inserted as consequential changes.

6. In view of the above, comments/suggestions from the General public, Industry associations and other persons and entities concerned has been invited on the above mentioned proposed enactment. It is requested that comments/suggestion on the above stated enactment may be sent **on or before 15.05.2024** in MS Office Word file to Email: pritam.k@gov.in and expl-dipp@nic.in with the subject line *"Comments/suggestions on the proposed Repeal of the Explosives Act, 1884(4 of 1884) and introduction of the Explosives Bill, 2024 for enactment of the Act".*

6. Further, alternatively comments/suggestion may also be sent by post to the following address:

Shri Pritam Kumar
Under Secretary, Explosives Section,
Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
Ministry of Commerce & Industry, Udyog Bhawan,
Rafi Ahmed Kidwai Marg Rajpath, Road Area, Central Secretariat,
New Delhi- 110011

The envelope may kindly be superscripted on the top with *"Comments/ suggestions on the proposed Repeal of the Explosives Act, 1884(4 of 1884) and introduction of the Explosives Bill, 2024 for enactment of the Act".*

Yours faithfully,

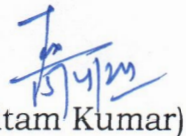

(Pritam Kumar)
Under Secretary to Govt. of India
Tel: 011-23063148
Email ID: pritam.k@gov.in

सं. पी-13033/261/2022-विस्फोटक

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

विस्फोटक अनुभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक: 15 अप्रैल, 2024

<u>जनता एवं हितधारकों के साथ परामर्श के लिए टिप्पण</u>

विषय: विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) को निरस्त करने तथा अधिनियम को अधिनियमित करने हेतु विस्फोटक विधेयक, 2024 को प्रस्तुत करने संबंधी प्रस्ताव।

विस्फोटक अधिनियम, 1884, व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, इस्तेमाल, बिक्री, परिवहन, आयात और निर्यात को विनियमित करने तथा भारत के भीतर विस्फोटकों से होने वाली दुर्घटनाओं (विस्फोट) को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था।

2. 'विस्फोटक' विषय का उल्लेख संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में किया गया है तथा विस्फोटक अधिनियम, 1884 का प्रशासन विभिन्न सांविधिक निकायों के जरिए भारत संघ के नियंत्रणाधीन है।

3. विस्फोटक अधिनियम, 1884 संविधान-पूर्व का अधिनियम है तथा वर्ष 1978 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए थे। स्वतंत्रता के बाद अनेक बड़ी और छोटी कंपनियों ने उच्च विस्फोटकों का विनिर्माण शुरू कर दिया था। यह पाया गया है कि विस्फोटक अधिनियम, 1884, पुराने ब्रिटिश प्रारूप पर आधारित है तथा यह देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं और विस्फोटक क्षेत्र के विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे उद्योग के लिए कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। विस्फोटक अधिनियम, 1884 की कमियों को दूर करने और उद्योग द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों का समाधान करने के मद्देनजर, विस्फोटक (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का 32) के जरिए वर्ष 1978 में विस्फोटक अधिनियम, 1884 में व्यापक संशोधन किए गए थे।

4. संविधान-पूर्व के सभी अधिनियमों की, वर्तमान परिस्थितियों में उनकी उपयोगिता और प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से जांच करने के बाद यह सुझाव दिया गया कि उन्हें पुन: अधिनियमन अथवा निरस्त करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाए अथवा एक जैसे मामलों को पुन: अधिनियमित अथवा निरस्त करने, जैसा भी मामला हो, के लिए दो या दो से अधिक केंद्रीय अधिनियमों का एक में अधिनियमन किया जाए। विस्फोटक अधिनियम, 1884 को निरस्त करने तथा दंडात्मक प्रावधानों सहित आवश्यक संशोधनों के साथ नए कानून को पुन: अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि इसे वर्तमान परिदृश्य अथवा परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जा सके।

5. विस्फोटक विधेयक, 2024 के जरिए विस्फोटक अधिनियम, 1884 में किए गए संशोधनों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन में संशोधन किया गया है।
- धारा 1 - संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ की तारीख में संशोधन किया गया है।
- धारा 4 - दो परिभाषाओं यथा लाइसेंसिंग प्राधिकरण और अधिसूचना को जोड़ा गया है।
- धारा 5 को धारा 25 में रख दिया गया है तथा धारा 5क (वर्ष 1978 में व्यापक संशोधन के बाद हटाए गए परिवर्तनकारी प्रावधान) - हटा दी गई है।
- दो उप-धाराओं (1) और (3) (जो मौजूदा अधिनियम में धारा 6 है) को प्रस्तावित विधेयक की धारा 3 में रख दिया गया है तथा एक उप-धारा (2) को प्रस्तावित विधेयक की धारा 3 में जोड़ा गया है।

  उप-धारा (2) लाइसेंस प्रदान करने, निलंबित करने अथवा रद्द करने तथा इस अधिनियम के तहत कुछ अन्य कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकरण तथा उप-धारा (3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 किसी विस्फोटक के आयात के संबंध में लागू होगा।
- मौजूदा अधिनियम की धारा 6क से धारा 9क को प्रस्तावित विधेयक में क्रमश: धारा 4 से धारा 13 के रूप में पुन: क्रमांकित किया गया है।
- दो उप-धाराओं (2) और (3) (जो मौजूदा अधिनियम में धारा 6ख है) को प्रस्तावित विधेयक की धारा 5 में रख दिया गया है तथा तीन उप-धारा (1), (4) और (5) को प्रस्तावित विधेयक की धारा 5 में जोड़ा गया है।

- धारा 14 के तहत कतिपय अपराधों के लिए सज़ा बढ़ाई जा रही है (जो मौजूदा अधिनियम में 9ख है) (केवल जुर्माना बढ़ाया गया है, कारावास नहीं बढ़ाया गया है)।
- मौजूदा अधिनियम की धारा 18 को प्रस्तावित विधेयक की धारा 26 में रख दिया गया है।
- परिणामी प्रभावों के रूप में धारा 27-28 को जोड़ा गया है।

6. उपर्युक्त के मद्देनजर, उपर्युक्त प्रस्तावित अधिनियमन के लिए आम जनता, उद्योग संघों और अन्य संबंधित व्यक्तियों एवं कंपनियों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिनियमन पर टिप्पणियां/सुझाव MS Office Word फाइल में दिनांक 15.05.2024 या उससे पहले pritam.k@gov.in तथा expl-dipp@nic.in पर ई-मेल किए जाएं, जिसका शीर्षक 'विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के प्रस्तावित निरसन तथा अधिनियम का अधिनियमन करने के लिए विस्फोटक विधेयक, 2024 को प्रस्तुत करने संबंधी टिप्पणियां/सुझाव' होना चाहिए।

7. इसके अलावा, टिप्पणियां/सुझाव वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित पते पर भी भेजे जा सकते हैं:

श्री प्रीतम कुमार
अवर सचिव, विस्फोटक अनुभाग,
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन,
रफी अहमद किदवई मार्ग, राजपथ रोड एरिया, केंद्रीय सचिवालय,
नई दिल्ली - 110011

लिफाफे के ऊपर 'विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के प्रस्तावित निरसन तथा अधिनियम का अधिनियमन करने के लिए विस्फोटक विधेयक, 2024 को प्रस्तुत करने संबंधी टिप्पणियां/सुझाव' लिखा होना चाहिए।

भवदीय,

Pritam 15/4/24

(प्रीतम कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23063148
ई-मेल आईडी: pritam.k@gov.in